(c) Total cost of the project is 7869 million Yen equivalent' to Rs. 107.5 orores for a period of five years. An expenditure of Rs. 2.69 crores has been incurred during 1990-91.

Production of sanction In NDMC

1803. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that NDMC has decided to privatise the sanitation work in Delhi:

(b) if so, the details thereof; and

'(c) what other activities of NDMC are further likely to be privatised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) N.D.M.C, has reported that the following items of sanitation have been given on contract:

t. Maintenance and operation of fabricated portion of compectors for garbage reinovel.

2. Sweeping and cleaning of:

d) Palika Bazar;

(ii) Lavatory block of central park / of Connaught Place;

(iii) Palika Kendra; and

(iv) Swati Hostel at Mandir Marg.

3. Maintenance ot lavatory biotic S Palika Place.

(c) No other activities, except garbage ranoval from a few selected areas of NDMC, are likely to be privatised.

दिल्ली में रिंग रेल प्रणाली

1804. डा० रत्नाकर पांडेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली रिंग रेलवे परियोजना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है और उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसके विस्तार की क्या योजना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : वर्तमान रिंग रेलवे प्रणाली में दक्षिण खंड और एक उत्तरी खंड शामिल है जो कि मुख्य रेल लाइन नेटवर्क का एक हिस्सा है। वर्तमान में रेलवे द्वारा दिल्ली में इस नेटवर्क पर 5 जोड़ी सर्कुलर ट्रेन चलाई जा रही है। रिंग रेलवे के विस्तार का आज की तारीख को कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली और वाराणसी के बीच यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधायें

1805. डा० रत्नाकर पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1991–92 के वर्ष के दौरान दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने की कोई योजना थी ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : यात्री सुविधा समिति की सिफारिशों के अनुसार सवारी डिब्बों में सभी यात्री सुविधायें मुहैया कराई जाती हैं । दिल्ली-वाराणसी गाड़ियों के लिए कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है। बहरहाल, परीक्षण के तौर पर निम्न-लिखित गाड़ियों में पानी के कूलरों की व्यवस्था की गई है :—

(i) 4057/4058 काशी विश्वनाथ
(ii) 4265/4266 देहरादून-वाराणसी
(iii) 4283/4284 गंगा-जमुना एक्सप्रेस

सिनेमा उद्योग से जुड़े कर्मकार

1806. डा० रत्नाकर पांडेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सिनेमा उद्योग से कितने कर्मकार जुड़े हुए हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) इन कर्मकारों को समुचित सुविधायें प्रदान करने के लिए अब तक कितने कानून बनाये गये हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) 27,000।

(ख)जी, नहीं ।

(ग) दो कानून हैं अर्थात्:-

(i) सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

(ii) सिने कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981

(घ) सिनेमा कर्मकारों को अन्य कल्याण निधियों के अधीन स्थापित औषधालयों/अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। सिनेमा कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को वजीफे भी दिए जा रहे हैं।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

1807. **डा० रत्नाकर पांडेय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में मार्च, 1991 तक, राज्यवार कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति स्नातक हैं, और कितने उच्च शिक्षा प्राप्त हैं; और

(ग) इन बेरोजगार व्यक्तियों में कितनी महिलायें हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) :(क)से (ग) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	31-3-1991 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर कुल योग	कुल योग में शामिल महिलाएं (कालम 2)	31-12-1989 की स्थिति के अनुसार स्नातक (स्नातकोत्तरों सहित) (अद्यतन उपलब्ध)
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	3033.3	453.6	226.2
2. अरूणाचल प्रदेश	4.9	1.2	0.1
3. असम	1087.5	191.7	64.9
4. बिहार	3446.6	213.7	310.8
5. गोवा	94.3	28.8	6.7
6. गुजरात	951.3	118.0	64.5
7. हरियाणा	651.2	103.0	53.7